फर्द अहकाम
न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद, जिला राजसमन्द

श्री छगनलाल चंदेल पिता श्री देवकिशन जी चंदेल, सामाजिक एवं आरटीआई कार्यकर्ता
निवासी अम्बिका चौक, जलचक्की, कांकरोली तहसील व जिला राजसमन्द

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द

– प्रत्यर्थी

मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 02/2026**

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 17.03.2026 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से जरिये पत्र क्रमांक :– एफ.1( )सू0अ0, 05/2026/143 दिनांक 16.03.2026 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अपीलान्ट आवेदन पत्र जरिये डाक से दिनांक 25.11.2025 का सूचना के अधिकार अधिनियम, 05 के तहत इस कार्यालय को 25.11.2025 को प्राप्त हुआ है। आरटीआई आवेदन के बिन्दु संख्या 03 व 05 एवं बिन्दु संख्या 06 की जो सूचना अपीलार्थी चाही गई उक्त सूचना का संबंध इस कार्यालय से नहीं होकर संबंधित विभाग की होने से इस कार्यालय द्वारा अपीलार्थी का आरटीआई आवेदन कार्यालय के जरिये पत्रांक 986–990 दिनांक 27.11.2025 से संबंधित विभाग को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3)(1)(2) में खेल विभाग, राजसमन्द एवं आबकारी विभाग, राजसमन्द को अन्तरण करते हुए जरिये डाक प्रेषित की गई। बिन्दु संख्या 01 व 02 की सूचना सामान्य अनुभाग कार्यालय हाजा एवं बिन्दु संख्या 04 की सूचना सतर्कता अनुभाग कार्यालय हाजा से संबंधित होने से इस कार्यालय के पत्रांक 986–990 दिनांक 27.11.2025 से सूचना उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग द्वारा जरिये पत्रांक 6309 दिनांक 04.12.2025 से अवगत कराया कि बिन्दु संख्या 04 की सूचना के संबंध में इस कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार सूचना उपलब्ध नहीं है एवं प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग के पत्रांक 291 दिनांक 09.03.2026 से बिन्दु संख्या 01, 02 व 04 की सूचना कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार पृष्ठ संख्या 634 की सूचना उपलब्ध करवाई गई जिसे इस कार्यालय द्वारा अधिप्रमाणित कर	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज)

तैयार की गई। उक्त सूचना को सूचना के अधिकार अधिनियम 05 की धारा 7(6) के तहत बिना किसी प्रभार के प्रार्थी स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर सूचना प्राप्त की गई। अतः प्रार्थी के आरटीआई आवेदन से चाही गई सूचना सामान्य अनुभाग में उपलब्ध रिकोर्ड अनुसार प्रार्थी को सूचना के अधिकार अधिनियम 05 की धारा 7(6) के तहत बिना किसी प्रभार के उपलब्ध करवा दी गई।

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दु संख्या 1 से 5 की सूचना में से बिन्दु संख्या 03 व 05 एवं बिन्दु संख्या 06 की जो सूचना अपीलार्थी चाही गई उक्त सूचना का संबंध इस कार्यालय से नहीं होकर खेल विभाग, राजसमन्द एवं आबकारी विभाग, राजसमन्द की होने से इस कार्यालय द्वारा अपीलार्थी का आरटीआई आवेदन कार्यालय के जरिये पत्रांक 986–990 दिनांक 27.11.2025 से संबंधित विभाग को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3)(1)(2) में खेल विभाग, राजसमन्द एवं आबकारी विभाग, राजसमन्द को अन्तरण किया गया तथा बिन्दु संख्या 01, 02 व 04 की सूचना कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार पृष्ठ संख्या 634 की सूचना अपलार्थी को उपलब्ध करवाई गई।

अतः अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचनाओ में से बिन्दु संख्या 01, 02 व 04 की सूचना कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार कुल पृष्ठ संख्या 634 की सूचना अपीलार्थी स्वयं द्वारा कार्यालय में उपस्थित होकर प्राप्त कर ली जाने एवं बिन्दु संख्या 03 व 05 एवं बिन्दु संख्या 06 की सूचना का संबंध खेल विभाग, राजसमन्द एवं आबकारी विभाग, राजसमन्द से संबंधित होने और उक्त संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी का आवेदन जरिये पत्रांक 986–990 दिनांक 27.11.2025 से संबंधित विभाग खेल विभाग, राजसमन्द एवं आबकारी विभाग, राजसमन्द को अन्तरण कर दिया जाने से उक्त अपील को निर्णित किया जाता है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, तथा लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)